समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612--2219545 (का0)
फैक्स न0--0612--2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

7/02.2014

आवेदक **श्री मन्टु कुमार,** पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह, सा0–न्यू यारपुर, जनता रोड, वृहस्पति सदन, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–875/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1051/गो0, दिनांक–21.11.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा अग्रसारित कर मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे वकालत करते हैं। पूर्व में उनके घर पर हमला किया गया था, जिसके संदर्भ में गर्दनीबाग थाना कांड सं0–1063/बी0, वर्ष 2010 दर्ज है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई विशेष तथ्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'ग' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मन्टु कुमार, पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह, सा0–न्यू यारपुर, जनता रोड, वृहस्पति सदन, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।